

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 315/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/511

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरीये

तहसीलदार पंचपदरा

1. उदयपुरी पुत्री मोडपुरी

2. बाबूपुरी पुत्र मोडपुरी

जाति गोस्वामी

निवासी साधुणी पुरोहितान

तहसील पंचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. प्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित।
2. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2

:आदेश:

दिनांक 30/7/2024

यतः तहसीलदार पंचपदरा ने ग्राम गुलाम हुसैन नगर तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 320/59 भूमि में से प्रस्तावित रकबा वर्षों से मौके पर चलायमान रास्तों को भू अभिलेख में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60 एवं 86 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं राजस्व सरकार की अधिसूचना क्रमांक: राजस्व (गुप्र-6)/विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक-प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.5.2016 तथा परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज-06/03 पार्ट जयपुर दिनांक 24.12.2014 एवं परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज-6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दू संख्या 4(2) में विहित प्रावधान के अनुपालना में अधोलिखित खसरान के खातेदार की असहमति के आधार पर निम्नानुसार आदेश दिए जाते हैं:-

ग्राम गुलाम हुसैन नगर पटवार मण्डल सिमरखिया तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 320/59 खातेदारान द्वारा राजहित में समर्पण करने से मना किए जाने के कारण राजस्व (गुप्र-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज-6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दू संख्या 4(2) में विहित प्रावधान के अनुसरण में संलग्न नक्शानुसार रास्ते में काम आ रही भूमि को सारणी के ख भाग के कॉलम संख्या (07) में अंकित रकबा की भूमि खातेदारी आराजी में ही दर्ज रखते हुए सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता घोषित करते हुए तदनुसार भू-अभिलेख में इन्द्राज एवं तुरमीम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं:-



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि (क)				नवीन रास्ते हुए दर्ज प्रविष्टि (ख)				वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	
1	14	320/59	1.4245	बा.दोयम	320/59	0.0323	गै.मु. रास्ता	नक्शे में दर्शितनुसार

तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है, कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित कर मय रिकॉर्ड की प्रति सहित पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।



(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 30.07.2024 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

